न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 87/2023

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 28/2023

राजस्थान सरकार जरिये, श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

...........प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स लाडू सिंह रावत निवासी कंचन नगर हाउसिंग बोर्ड, अजमेर (परिवहन कर्ता) पुलिस थाना रामगंज, अजमेर
2. श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री छगन सिंह निवासी भवानीखेडा, नसीराबाद जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर
3. श्री शंकर रावत पुत्र श्री रामलाल रावत निवासी धोलादाता भवानीखेडा,नसीराबाद पुलिस थाना नसीराबाद सदर
4. श्री सुरेश माली पुत्र श्री बजरंग माली ग्राम शिवनगर, पारा तहसील केकडी पुलिस थाना केकडी सदर
5. श्री राहुल रेगर पुत्र श्री रामलाल रेगर निवासी शिव मंन्दिर के पास, ग्राम पारा, तहसील केकडी पुलिस थाना केकडी सदर ....**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री एस.के. सक्सेना अभिभाषक अप्रार्थी 01
श्री भंवर सिंह गौड अभिभाषक अप्रार्थी 02 से 05

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र जब्तशुदा टैंकर को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 01.06.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अवैध पेट्रोलियम व्यवसाय रोकथाम के निर्देशों के क्रम में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर श्री खीवसिंह राठौड़ उप अधीक्षक पुलिस, केकड़ी के नेतृत्व में जांच दल श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी व श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 02.04.2023 को केकडी देवली रोड एस.एच. 26 स्थित ग्राम शिवनगर, पारा तहसील केकड़ी में बलराम एच.पी. गैस एजेन्सी पारा के गोदाम के पास होटल के पीछे जाँच हेतु पहुँचे, जिसमें वक्त जांच मौके पर एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 09–सी 9630 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से कुछ व्यक्ति मैन वॉल्व बॉक्स से लोहे की छड़ व रॉड से छेड़छाड़ कर पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर बाल्टियों व जरीकनों में भर रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर उपस्थित व्यक्तियों ने अपना परिचय श्री ज्ञान सिंह पुत्र छगन सिंह, निवासी भवानी खेडा, नसीराबाद वाहन चालक टैंकर, श्री शंकर रावत पुत्र श्री रामलाल रावत निवासी धोलाघाता, भवानीखेडा, नसीराबाद टैंकर खलासी. श्री सुरेश माली पुत्र श्री बजरंग माली निवासी शिवनगर पारा परिसर मालिक एवं श्री राहुल रेगर पुत्र श्री रामलाल रेगर निवासी शिव मंदिर के पास, होना पाया। वक्त जांच मौके पर पाया कि उक्त चारो व्यक्तियों द्वारा टैंकर के मैन वॉल्व बॉक्स (मैनीफॉल्ड बॉक्स) को बिना लॉक खोले लकड़ी के गुटके को फंसाकर वॉल्व में लोहे की छड़ी (जुगाड) से डस्ट कैप को हटाकर वॉल्व के लीवर को खींच कर पेट्रोलियम पदार्थ

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

फिलिंग स्टेशन) एच. पी. पेट्रोल पम्प खसरा नं. 19 एस.एच. 19ए झालावाड़–डग रोड ग्राम पगारिया, झालावाड के लिए रवाना हुआ था। उक्त टैंकर ट्रांसपोर्टर कैरियर कोड– 281627 मैसर्स लाडू सिंह रावत, कचन नगर अजमेर का है, किन्तु वाहन चालक द्वारा बीच रास्ते में ही उक्त स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल निकाला जाना पाया। वक्त जांच मौके से एच.पी.सी.एल. अजमेर टर्मिनल के अधिकारी को सूचित करने पर एचपीसीएल टर्मिनल से श्री आशुतोष मिश्रा, ऑपरेशनल अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं टैंकर का अवलोकन व परीक्षण करने पर पाया कि बिना सील तोड़े मैनीफॉल्ड बॉक्स से छेड़छाड कर पेट्रोल, डीजल निकालने की पुष्टि की गई। वक्त जांच मौके पर परिसर की जांच में लोहे के एक ड्रम में 130 लीटर डीजल एवं दो जरीकेनों में 60 लीटर पेट्रोल पदार्थ भरा पाया, जिसके संदर्भ में परिसर मालिक श्री सुरेश से पूछताछ पर अन्य टैंकरों से खरीद करना बताया तथा बताया कि उनके द्वारा टैंकर चालकों से नियमित रूप से डीजल, पेट्रोल खरीद की जाती है, जिसमें राहुल इसका सहयोग करता है। वक्त जांच मौके पर श्री सुरेश ने वाहन चालक श्री ज्ञान सिंह से 80 रुपये प्रति लीटर की दर पर डीजल खरीदना एवं 95 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदना बताया, जिसे वे आगे अन्य ग्राहकों को डीजल 85 रूपये प्रति लीटर व पेट्रोल 100 रूपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है, जो बाजार दर क्रमशः डीजल 93 रूपये व पेट्रोल 108 रूपये से कम दरों पर बेचकर मुनाफा कमाता है। वक्त जांच मौके पर परिसर से श्री सुरेश व राहुल के पास टैंकों से डीजल–पेट्रोल निकालने की 05 छेड (जुगाड), 03 लोहे के तार, 06 जरीकेन, 02 लोहे के ड्रम, 07 बाल्टियाँ, 01 कीप, एक मापक 10 लीटर, 02 लकड़ी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल इस कार्य हेतु पाए गए। मौके पर प्रथम दृष्टया अवलोकन अनुसार ही डीजल, पेट्रोल के अवैध व्यवसाय की पुष्टि हुई, जो कि मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2016, इण्डस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिसिलिनेरी गाडइलाइन (TDG) के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ-09-GC-9630 मय HSD – 14930 लीटर पेट्रोल (गैसोहॉल) 4970 लीटर दो जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल एवं टैंकर से निकाला 30 लीटर पेट्रोल (कुल 90 लीटर पेट्रोल), एक लोहे के ड्रम में 130 लीटर डीजल एवं टैंकर से निकाला 70 लीटर डीजल (कुल 200 लीटर डीजल), एक खाली लोहे का ड्रम 04 खाली जरीकेन 07 प्लास्टिक की बाल्टियों, एकी कीप एक मापक 10 लीटर, 02 लकड़ी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल 05 लोहे की छडे (जुगाड), 03 लोहे के तार राज्यहित में कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना सदर केकड़ी को हूबहू अवस्था में यथास्थिति सुपुर्द किए गए। वक्त जाँच मौके पर वाहन चालक श्री ज्ञान सिंह से टैंकर इनवॉइस प्रति टैंकर का RTO परमिट की प्रति, टैंकर की आर.सी. प्रति एवं ड्राईविंग लाईसेंस एवं आधार कार्ड की प्रति श्री सुरेश, श्री राहुल व श्री शंकर से आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की। श्री सुरेश माली ने परिसर मालिक स्वयं होना बताया और मालिकाना हक की जमाबन्दी प्रति प्रस्तुत की किन्तु पेट्रोलियम पदार्थों के व्यवसाय, भण्डारण के संदर्भ में कोई वैध अनुज्ञा–पत्र/अनुमति पत्र नहीं होना पाया तथा डीजल–पेट्रोल के बिल वाउचर एवं उपयोग संबंधी अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गये। वक्त जांच टैंकर से निकाले गए डीजल एवं पैट्रोल के निर्धारित प्रक्रिया से सैम्पल लिए गए। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना केकडी सदर में दर्ज कराई गई है, जिसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनयमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 3(1),(3)a,(4),(5),(6),(7) 4

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

एवं पेट्रोलियम रूल्स 2016 एवं इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिसिप्लिनेरी गाइडलाइन (TDG) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8,3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ- 09-GC-9630 मय HSD 14930 लीटर पेट्रोल (गैसोहॉल) 4920 लीटर, दो जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल, एक लोहे के ड्रम में 130 लीटर डीजल, एक खाली लोहे का ड्रम, 04 खाली जरीकेन, 07 प्लास्टिक की बाल्टियॉं, एक कीप, एक मापक 10 लीटर, 02 लकडी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल, 05 लोहे की छडे (जुगाड़) 03 लोहे के तार तथा साथ ही टैंकर से निकाला गया एचएसडी 70 लीटर व पेट्रोल (गैसोहॉल) 30 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः निवेदन किया प्रकरण में श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पुलिस थाना केकडी सदर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71 दिनांक 02.04. 2023 को अन्तर्गत धारा 407, 285, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3, 7, 8 व 10 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करवाया । अप्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी लादू सिंह रावत एक ट्रांसपोर्टर है तथा टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 09 जी.सी. 9630 एच.पी.सी.एल टर्मिनल अजमेर से ग्राम पगारिया, जिला झालावाड स्थित मैसर्स हमारा पम्प, जैन फिलिंग स्टेशन को सप्लाई हेतु रवाना हुआ, जिसका चालक ज्ञान सिंह पुत्र श्री छगन सिंह, निवासी भवानीखेडा, नसीराबाद जिला अजमेर था। उक्त टैंकर में गैसोहोल 5000 लीटर और हाई स्पीड डीजल 15000 लीटर एच.पी.सी.एल अजमेर टर्मिनल से ग्राम पगारिया जिला झालावाड में सप्लाई हेतु रवाना हुआ। वाहन टेंकर चालक ज्ञान सिंह, खलासी शंकर रावत व अन्य व्यक्ति राहुल रेगर व सुरेश माली ने मिलकर अवैध रूप से टेंकर से डीजल बेचे जाने का अवैध कृत्य किया जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय प्रतीत होने पर टैकर, पेट्रोल पदार्थ व अन्य उपकरण कब्जा राजसात किया जाकर पुलिस थाना सदर केकडी जिला अजमेर जॉच हेतु सुपुर्द किये गये है। अपराधिक कृत्य से ट्रासपोर्ट टेंकर स्वामी प्रार्थी लादू सिंह का कोई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई कृत्य नहीं है। भारत के राजपत्र में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस आदेश नई दिल्ली दिनांक 19.12.2005 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्टीब्यूशन एण्ड प्रवेशन ऑफ मेल प्रेक्टिसस 2005 के तहत क्लोज 7, 2 के तहत कार्यवाही की जानी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.क्रिमिनल रिविजन पीटिशन नम्बर 1361/2014 निर्णित दिनांक 02.02.2016 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 6 ए के तहत एक अन्य प्रकरण जाहगीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 2 सी.आर.एल.आर 942 का अनुसरण करते हुये चरण संख्या 6 में यह अभिनिर्णित किया है । अतः उक्त टेंकर रजिस्टेशन नम्बर आर.जे. 09 जी.सी 9630 मय पेट्रोलियम पदार्थ गैसोहोल और आई स्पीड डीजल को छोडे जाने के आदेश प्रदान करे ।

अप्रार्थी 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि उक्त टैंकर की जांच कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की गई है, जो कि अधिकृत नहीं

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

है। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक अजमेर के फर्द मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही है। जिस पर पेरोकार सरकार के द्वारा निवेदन किया कि उक्त टेंकर की जांच कार्यवाही पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा ही की गई है जो कि जांच हेतु अधिकृत है, साथ ही फर्द मौका रिपोर्ट पर भी उप अधीक्षक पुलिस के हस्ताक्षर अंकित होना बताया गया है।

अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि मौके पर किसी प्रकार का टेंकर के वॉल से छेडछाड कर पेटोलियम पदार्थ निकालकर बाल्टियो व जरिकेन में नहीं भरा जा रहा था वरन टेंकर रजिस्टेशन संख्या आरजे.09 जीसी 9630 तकनीकी खामी के कारण सडक के किनारे तथा मौके पर उसे ओजार इत्यादि लेकर दुरूस्त किया जा रहा था जिसको संदिग्ध मानकर आशंका मात्र पर जब्त किया गया है। टेंकर के वॉल से किसी प्रकार की कोई छेडछाड नहीं की गई ना ही पैट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। अन्य टैकरो से खरीद फरोख्त सबंधित कोई दस्तावेज वक्त जांच मौके से जब्त नहीं किए गए। मौके पर प्रार्थी का स्वयं का व्यवसाय होने से उक्त उपकरण बरामद किये गये है जिन्हे मात्र शंका व संदेह के आधार पर वजह सबूत जब्त किया है। मिस्त्री के व गाडियो के मैकेनिक के पास ऐसे उपकरणो की बरामदगी स्वभाविक है। अतः जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ अवैध व अनाधिकृत रूप से नहीं निकाला जा रहा था। इस कारण प्रकरण जब्तशुदा टैकर मय पेट्रोलियम पदार्थ टेंकर स्वामी को सुपुर्द किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध पेट्रोलियम व्यवसाय रोकथाम के निर्देशों के क्रम में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर श्री खीवसिंह राठौड़ उप अधीक्षक पुलिस, केकड़ी के नेतृत्व में जांच दल श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी व श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 02.04.2023 को केकडी देवली रोड एस.एच. 26 स्थित ग्राम शिवनगर, पारा तहसील केकड़ी में बलराम एच.पी. गैस एजेन्सी पारा के गोदाम के पास होटल के पीछे जाँच हेतु पहुँचे, जिसमें वक्त जांच मौके पर एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 09–सी 9630 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से कुछ व्यक्ति मैन वॉल्व बॉक्स से लोहे की छड़ व रॉड से छेड़छाड़ कर पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर बाल्टियों व जरीकनों में भर रहे थे। मौके पर उक्त चारो व्यक्तियों द्वारा टैंकर के मैन वॉल्व बॉक्स (मैनीफॉल्ड बॉक्स) को बिना लॉक खोले लकड़ी के गुटके को फंसाकर वॉल्व में लोहे की छड़ी (जुगाड) से डस्ट कैप को हटाकर वॉल्व के लीवर को खींच कर पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर प्लास्टिक तिरपाल में इक्टठा कर बाल्टियों व जरीकनों में भर रहे थे। दौराने जांच उक्त टैंकर से 70 लीटर डीजल व 30 लीटर पेट्रोल निकालना पाया गया। वक्त जांच मौके पर वाहन चालक श्री ज्ञान सिंह द्वारा एच.पी.सी.एल. अजमेर टर्मिनल द्वारा जारी INVOICE संख्या 23000039.RI.11281, दिनांक 01.04.2023 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त टैंकर संख्या RJ-09-GC.9630 मे पेट्रोल (GASOHOL BSVI) मात्रा 5000 लीटर, HSDBSVI–15000 लीटर टर्मिनल अजमेर से 5.32 PM पर भरकर आपूर्ति हेतु मैसर्स हमारा पम्प (जैन फिलिंग स्टेशन) एच. पी. पेट्रोल पम्प खसरा नं. 19 एस.एच. 19ए झालावाड़–डग रोड ग्राम पगारिया, झालावाड के लिए रवाना हुआ था। उक्त टैंकर ट्रांसपोर्टर क़ैरियर कोड– 281627 मैसर्स लादू सिंह रावत, कंचन नगर अजमेर का है, किन्तु वाहन चालक द्वारा बीच रास्ते में ही उक्त स्थान पर अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल निकाला जाना पाया। वरवक्त जांच मौके से एच.पी.सी.एल.

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

अजमेर टर्मिनल के अधिकारी को सूचित करने पर एचपीसीएल टर्मिनल से श्री आशुतोष मिश्रा, ऑपरेशनल अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं टैंकर का अवलोकन व परीक्षण करने पर पाया कि बिना सील तोड़े मैनीफॉल्ड बॉक्स से छेड़छाड कर पेट्रोल, डीजल निकालने की पुष्टि की गई। वक्त जांच मौके पर परिसर की जांच में लोहे के एक ड्रम में 130 लीटर डीजल एवं दो जरीकेनों में 60 लीटर पेट्रोल पदार्थ भरा पाया, परिसर से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि उक्त परिसर पर पेट्रोल, डीजल की अवैध रूप से नियमित व बडे पैमाने पर व्यवसाय किया जाता है। वक्त जांच मौके पर परिसर से श्री सुरेश व राहुल के पास टैंकों से डीजल–पेट्रोल निकालने की 05 छडी (जुगाड), 03 लोहे के तार, 06 जरीकेन, 02 लोहे के ड्रम, 07 बाल्टियाँ, 01 कीप, एक मापक 10 लीटर, 02 लकड़ी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल इस कार्य हेतु पाए गए। मौके पर प्रथम दृष्टया डीजल, पेट्रोल के अवैध व्यवसाय की पुष्टि हुई, जो कि मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2016, इण्डस्ट्री ट्रासपोर्ट डिसिलिनेरी गाडइलाइन (TDG) के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ-09-GC–9630 मय HSD – 14930 लीटर पेट्रोल (गैसोहॉल) 4970 लीटर दो जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल एवं टैंकर से निकाला 30 लीटर पेट्रोल (कुल 90 लीटर पेट्रोल), एक लोहे के ड्रम में 130 लीटर डीजल एवं टैंकर से निकाला 70 लीटर डीजल (कुल 200 लीटर डीजल), एक खाली लोहे का ड्रम 04 खाली जरीकेन 07 प्लास्टिक की बाल्टियों, एकी कीप एक मापक 10 लीटर, 02 लकड़ी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल 05 लोहे की छडे (जुगाड), 03 लोहे के तार राज्यहित में कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना सदर केकड़ी को हूबहू अवस्था में यथास्थिति सुपुर्द किए गए। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य MS & HSD Order 2005 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन हो जो कि EC Act 1955 की धारा 3/7, 3/8,3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 14930 लीटर पेट्रोल (गैसोहॉल) 4970 लीटर, दो जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल, एक लोहे के ड्रम में 130 लीटर डीजल, एक खाली लोहे का ड्रम, 04 खाली जरीकेन, 07 प्लास्टिक की बाल्टियॉ, एक कीप, एक मापक 10 लीटर, 02 लकडी के गुटके, एक प्लास्टिक का तिरपाल, 05 लोहे की छडे (जुगाड), 03 लोहे के तार तथा साथ ही टैकर से निकाला गया एचएसडी 70 लीटर व पेट्रोल (गैसोहॉल) 30 लीटर को आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ/सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन संख्या RJ-09-GC-9630 से एचएसडी 14930 लीटर पेट्रोल (गैसोहॉल) 4970 लीटर सहित जब्त किया गया है। वाहन संख्या RJ-09-GC-9630 के टैंकर से डीजल/पेट्रोल निकालना पाया गया है। उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी ने उक्त वाहन को निर्मुक्त करने का निवेदन किया है। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन को

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त वाहन संख्या RJ-09-GC-9630 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी कम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना सराना को जब्त वाहन ट्रक संख्या RJ-09-GC-9630 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज सबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे । जिला रसद अधिकारी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो । सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 28/2023 का निस्तारण इसी आदेश में किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर